संख्या-449/2015 /2690/69-1-2014-77(म0ब0-83)/2014

प्रेषक,

एच0पी0 सिंह
विशेष सचिव
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

निदेशक,
राज्य नगरीय विकास अभिकरण,
उ0प्र0, लखनऊ।

नगरीय रोजगार एवं गरीबी
उन्मूलन कार्यक्रम विभाग।

लखनऊ : दिनांक : 28 मई, 2015

विषय वित्तीय वर्ष 2015-16 में शहरी क्षेत्रों की मलिन बस्तियों में इण्टरलाकिंग, नाली निर्माण, जल निकासी व अन्य सामान्य सुविधाओं की स्थापना योजना के कार्यान्वयन हेतु अनुदान संख्या-83 के अन्तर्गत वित्तीय स्वीकृति ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-3095/15/छः/06/2012-13, दिनांक 02 दिसम्बर, 2014 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि **"शहरी क्षेत्रों की मलिन बस्तियों में इण्टरलाकिंग, नाली निर्माण, जल निकासी व अन्य सामान्य सुविधाओं की स्थापना योजना"** के अन्तर्गत अनुदान संख्या-83 से जनपद-सहारनपुर की न0निगम सहारनपुर, न0निकाय अम्बेहटा व नकुड़ की विभिन्न मलिन बस्तियों में इण्टरलाकिंग सड़क व नाली निर्माण कार्यों से सम्बन्धित अलग-अलग कुल 14 परियोजनाओं हेतु वित्तीय वर्ष 2015-16 में उक्त योजनान्तर्गत बजट में प्राविधानित धनराशि में से **रू0 483.65 लाख की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति** सहित उक्त के सापेक्ष प्रथम किश्त के रूप में परियोजना लागत का 50 प्रतिशत अर्थात् संलग्न तालिका के स्तम्भ-6 में अंकित धनराशि **रू0 241.825 लाख (रूपये दो करोड़ इकतालिस लाख बयासी हजार पॉच सौ मात्र)** की निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन, श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

1. उक्त धनराशि प्रश्नगत योजना के सम्बन्ध में जारी दिशा-निर्देशों विषयक शासनादेश संख्या-32/69-1-13-14(31)/2012टीसी, दिनांक 16 जनवरी, 2013 में दिये गये दिशा-निर्देश/व्यवस्था का पूर्णरूपेण अनुपालन करते हुए की जायेगी।
2. प्रश्नगत परियोजनाओं में प्रस्तावित कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड-6 के अध्याय-12 के प्रस्तर-318 में वर्णित व्यवस्था के अनुसार प्रयोजना पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जायेगी तथा सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात् ही कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।
3. उक्त धनराशि शासन द्वारा इस योजना के अन्तर्गत निर्धारित शर्तों/योजना के प्रतिबन्धों के अनुसार उपर्युक्तानुसार निहित मद में व्यय की जायेगी एवं स्वीकृत परियोजनान्तर्गत कार्य की विशिष्टियॉ, मानक व गुणवत्ता आदि को सुनिश्चित करते हुए कार्य क्रमशः इस प्रकार कराये जायेंगे कि वे उपलब्ध धनराशि से ही निर्धारित समय सीमा में पूर्ण हो जाये तथा उनका लाभ सम्बन्धित स्थानीय निवासियों को मिल सके।

क्रमशः............2

15. इस धनराशि का उपयोग चालू वित्तीय वर्ष 2015-16 में अवश्य करा लिया जाय और इसके बाद उपयोगिता प्रमाण-पत्र शासन को उपलब्ध कराया जायेगा। निर्धारित अवधि के बाद अनुपयोगित धनराशि, यदि कोई हो तो एकमुश्त शासन को वापस करनी होगी।

16. उक्त योजनान्तर्गत स्वीकृत धनराशि में से उतनी ही धनराशि आहरित की जायेगी जितनी 31 मार्च, 2016 तक व्यय हो सके।

2. उपर्युक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2015-16 के अनुदान संख्या-83 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक-"2217-शहरी विकास-आयोजनागत-04-गंदी बस्तियों का विकास-789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना-04-शहरी क्षेत्रों की मलिन बस्तियों में सी0सी0रोड/इण्टरलाकिंग नाली आदि सामान्य सुविधाओं के निर्माण कार्य-00-35-पूंजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु अनुदान" के नामे डाला जायेगा।

3. यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-2/2015/बी-1-925/दस-2015-231/2015, दिनांक 30 मार्च, 2015 तथा समय-समय पर प्राप्त निर्देशों के तहत् जारी किये जा रहे हैं।

संलग्नक-यथोक्त।

भवदीय,

(एच0पी0 सिंह)
विशेष सचिव।

संख्या-448/2015/2690(1)/69-1-2015, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0,20 सरोजनी नायडू मार्ग, इलाहाबाद।
2. महालेखाकार (लेखा परीक्षा), प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0,20 सरोजनी नायडू मार्ग, इलाहाबाद।
3. निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उ0प्र0, छठवां तल, संगम प्लेस, सिविल लाइन, इलाहाबाद।
4. सचिव, नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम विभाग, उ0प्र0 शासन।
5. जिलाधिकारी/अध्यक्ष, जिला नगरीय विकास अभिकरण, सहारनपुर।
6. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
7. वित्त (ई-8) अनुभाग, उ0प्र0 शासन।
8. नियोजन अनुभाग-4, उ0प्र0 शासन।
9. समाज कल्याण (बजट प्रकोष्ठ), कल्याण नियोजन प्रकोष्ठ, उ0प्र0 शासन।
10. वित्त नियंत्रक, राज्य नगरीय विकास अभिकरण, उ0प्र0, लखनऊ।
11. सहायक वेब मास्टर, सूडा को विभागीय वेब साइड पर अपलोड कराने हेतु।
12. गार्ड फाइल/कम्प्यूटर सहायक/बजट समन्वयक।

आज्ञा से,

(कमल किशोर गुप्त)
उप सचिव।

नादेश संख्या- [illegible] /2690/69-1-14-77(म0ब0-83)/2014, दिनांक 28 मई, 2015 का संलग्नक।

(धनराशि लाख रु0 में)

क्र0 स0	जनपद का नाम	निकाय/नगर पंचायत का नाम	बस्ती/वार्ड का नाम/कार्य का विवरण।	परियोजना की कुल लागत।	प्रथम किश्त (50 प्रतिशत) के रूप में स्वीकृत योग्य धनराशि।
1	2	3	4	5	6
1.	सहारनपुर	न0निगम सहारनपुर	वर्धमान कालोनी (भाग-2) में वालिया ब्रिक्स सप्लायर से सुखबीर वाली गली व अन्य लिंक गलियों में इण्टरलाकिंग सड़क एवं नाली निर्माण कार्य।	40.58	20.29
2.	तदैव	तदैव	वर्धमान कालोनी (भाग-3) में चौधरी इलैक्ट्रॉनिक्स वाले से बसेश्वर सैनी के मकान व प्रवीण शर्मा के मकान तक व अन्य लिंक गलियों में इण्टरलाकिंग सड़क एवं नाली निर्माण कार्य।	34.99	17.495
3.	तदैव	तदैव	वर्धमान कालोनी (भाग-4) में गोपाल के मकान से मदन लाल सैनी के मकान तक, तालिब की दुकान से राजू व मजाहिद के मकान तक व अन्य लिंक गलियों में इण्टरलाकिंग सड़क एवं नाली निर्माण कार्य।	26.11	13.055
4.	तदैव	न0 निकाय अम्बेहटा	मो0 अम्बेहटा में डा0 प्रमोद के मकान से सुरेश के मकान तक, इसम के मकान से ब्रहमपाल के मकान तक, महेन्द्र के मकान से महिपाल व रविदास मन्दिर तक, रविदास मन्दिर से अन्नू के मकान तक (पार्ट-3) इण्टरलाकिंग रोड व नाली निर्माण कार्य।	36.24	18.12
5.	तदैव	तदैव	मो0 अम्बेहटा में सोढ़ी के मकान से माता देवी के भवन तक (पार्ट-4) इण्टरलाकिंग रोड व नाली निर्माण कार्य।	24.27	12.135
6.	तदैव	न0निकाय नकुड़	कौशिक मार्किट से रमेश आडती के मकान तक व अनिल सैनी हाउस (विजय कालोनी) वार्ड नं0-02 तक इण्टरलाकिंग रोड व नाली निर्माण कार्य।	37.74	18.87
7.	तदैव	न0निगम सहारनपुर	मो0 रमेश नगर (पार्ट-01) में मुलकराज के मकान से ओमवती व हरीश कुमार के मकान तक इण्टरलाकिंग सड़क एवं नाली निर्माण कार्य।	31.79	15.895
8.	तदैव	तदैव	मो0 रमेश नगर (पार्ट-02) में श्री राम शिव शक्ति मन्दिर से शिव आटा चक्की व राजबीर के मकान तक इण्टरलाकिंग सड़क एवं नाली निर्माण कार्य।	39.05	19.525
9.	तदैव	तदैव	मो0 रमेश नगर (पार्ट-03) में मुस्कान कॉस्मैटिक से अशोक सैनी के मकान तक व तमन्ना हेयर ड्रेसर से कुसुम व रामलाल के मकान तक इण्टरलाकिंग सड़क एवं नाली निर्माण कार्य।	36.63	18.315
10.	तदैव	तदैव	मो0 गणेश नगर (पार्ट-01) में देवी कार्नर स्टेशनरी से खेड़ा पीर तक इण्टरलाकिंग सड़क एवं नाली	37.61	18.805

—2